

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

CORRIGENDA

New Delhi, the 31st January, 2025

G.S.R. 90(E).— In the notification number 05/2025 - Integrated Tax (Rate), dated the 16th January, 2025, of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 39(E), dated the 16th January, 2025, -

- (i) page 9, line 2, for “(ii)”, read “(i)”;
- (ii) page 9, line 18, for “(See para 4(xxxvi))”, read “(See para 5(xxxvi))”;
- (iii) page 9, line 41, for “(See para 4(xxxvi))”, read “(See para 5(xxxvi))”;
- (iv) page 10, line 13, for “(See para 4(xxxvi))”, read “(See para 5(xxxvi))”.

[F. No. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

Md. ADIL ASHRAF, Under Secy.

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 91(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2025- एकीकृत कर (दर), दिनांकित 16 जनवरी, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 42 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ संख्या 18 पर, सारणी में, कॉलम (3) में, “मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।”

के स्थान पर

“मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर यान दुर्घटना निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली वो बीमा सेवाएं जो बीमाकर्ताओं द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से योगदान के विरुद्ध प्रदान की गयी हैं” पढ़ें।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2025

सा.का.नि. 92(अ).— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 06/2025- संघ राज्य क्षेत्र कर (दर), दिनांकित 16 जनवरी, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. संख्या 43 (अ), दिनांक 16 जनवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, के पृष्ठ संख्या 20 पर, सारणी में, कॉलम (3) में, “मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर वाहन दुर्घटना निधि द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदान के विरुद्ध प्रदान की जाने वाली बीमा सेवाएं।”

के स्थान पर

“मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख के अंतर्गत गठित मोटर यान दुर्घटना निधि द्वारा प्रदान की जाने वाली वो बीमा सेवाएं जो बीमाकर्ताओं द्वारा मोटर वाहनों के तृतीय पक्ष बीमा के लिए एकत्रित प्रीमियम में से योगदान के विरुद्ध प्रदान की गयी हैं” पढ़ें।

[फा. सं. 190354/2/2025-TO (TRU-II)]

मो. आदिल अशरफ, अवर सचिव